

# कार्यालय जिला कलक्टर(रसद), जिला-डीग

क्रमांक: रसद/एफपीएस/विज्ञप्ति/2026/राजकाजसंदर्भसं.

दिनांक:ई-हस्ताक्षरित

## प्रेस-विज्ञप्ति

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ: 17(1)खा.वि./विधि/08 जयपुर, दिनांक 17.03.2016, एफ: 17(5) खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 जयपुर, दिनांक 25.11.2020 एवं क्रमांक एफ 17(4)खा.वि./न्याय/2025 दिनांक 10.05.2025 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा-निर्देशों के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में रिक्त उचित मूल्य दुकानों के लिए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के खंड 3(1) के तहत नवीन प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु इच्छुक एवं पात्र आवेदकों से सशुल्क आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।

आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय जिला रसद अधिकारी डीग(तहसील परिसर,डीग) से 100 रूपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा कराकर प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन पत्र विहित रीति से भरे जाकर विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 24.02.2026 को सांय 5:00 बजे तक कार्यालय समय (राजकीय अवकाश को छोड़कर) में किसी भी कार्य दिवस में पात्रता संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति व घोषणा पत्र के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी, डीग में जमा करवाये जा सकेंगे। तहसीलवार तहसील रारह में 01, तहसील कुम्हेर में 02, तहसील डीग में 06, एवं तहसील पहाडी में 01, दुकानों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं।

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ. 17 (1) खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016, 25.11.2020, एवं 10.05.2025 द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा-निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 एवं 10.05.2025 के दिशा-निर्देशों तथा रिक्त उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट [food.raj.nic.in](http://food.raj.nic.in) व जिला रसद कार्यालय डीग में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

आवेदक द्वारा दी गई सूचनाएं गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। उक्त रिक्तियों में कमी/बढौतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

(भागुराम महला)  
जिला रसद अधिकारी  
डीग

RajKaj Ref No.:  
20415947



क्रमांक: रसद / एफपीएस / विज्ञप्ति / 2026 / राजकाजसंदर्भसं.

दिनांक:ई-हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।

4. ए.सी.पी. खाद्य विभाग, जयपुर को भेजकर उक्त विज्ञप्ति को विभाग की वेबसाईट [food.raj.nic.in](http://food.raj.nic.in) पर अपलोड कराने हेतु।

5. माननीया सांसद महोदया, भरतपुर।
6. माननीय विधायक महोदय, समस्त, जिला डीग।
7. जिला रसद अधिकारी, डीग।
8. उपखण्ड अधिकारी, समस्त, जिला डीग।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, जिला डीग।
10. तहसीलदार, समस्त, जिला डीग।
11. रक्षित पत्रावली।

जिला रसद अधिकारी  
डीग